

आदेश की क्रम
संख्या एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

परमिशन वाद संख्या-42/2022-23

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत

आदेश

यह वाद आवेदकगण 1. रामचन्द्र उरांव 2. राधेश्याम उरांव 3. अजीत उरांव तीनों पिता-स्व0 रामसुन्दर उरांव 4. दशरथ उरांव, पिता-स्व0 विश्वनाथ उरांव, सभी साकिन ग्राम-विश्रामपुर, थाना-रंका, जिला-गढ़वा की ओर से सिंचाई योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) को सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49 (3) के अन्तर्गत अपनी भूमि के बिक्री की अनुमति के निमित्त प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदित भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, रंका से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई।

अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 525, दिनांक 26.12.2022 एवं 48, दिनांक 06.02.2023 से प्राप्त आवेदित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1. आवेदित भूमि के रैयत दशरथ उरांव, पिता-स्व0 विश्वनाथ उरांव एवं लक्ष्मण उरांव, पिता-चम्पा उरांव हैं। वर्तमान आवेदकगण रैयत के वंशज हैं।
2. पंजी-II में खाता-47, प्लॉट-2011 की किस्म टांड-2 है, जिसका रकबा 2.07 ए0 है।
3. भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
4. भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेतागण भूमिहीन नहीं हो रहे हैं।

सरकारी अधिवक्ता, गढ़वा द्वारा भी उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित भूमि को कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के पक्ष में ट्रान्सफर किये जाने का निम्नवत मतव्य दिया गया है।

"Having examined the relevant legislation I am in the opinion that the petitioner can transfer the holding in favour of the Executive Engineer, Waterways Division, Garhwa (Deptt. Of Water Resources) for construction of delivery chamber for the purpose of irrigation after getting proper compensation(consideration amount) by mentioning in the deed that the transferee shall be entitled to use the land only for the purpose for which it was transferred and all condition laid down in sec 49 or the provision of CNT Act shall be applicable in

such transfer."

अतः अंचल अधिकारी से प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में सी०एन०टी० एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत आवेदकगण 1. रामचन्द्र उरांव 2. राधेश्याम उरांव 3. अजीत उरांव तीनों पिता-स्व० रामसुन्दर उरांव 4. दशरथ उरांव, पिता-स्व० विश्वनाथ उरांव, सभी साकिन ग्राम-विश्रामपुर, थाना-रंका, जिला-गढ़वा के द्वारा मौरुषी भूमि को सिंचाई हेतु डेलिवरी चेंबर निर्माण के लिए प्रस्तावित क्रेता कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के नाम से आवेदित निम्नांकित भूमि की बिक्री की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है।

1. सी०एन०टी० एक्ट की सुसंगत धाराओं का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
2. भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा।

भूमि का विवरण:-

क्र० सं०	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
1	विश्रामपुर	134	47	2011	0.66	उ०- नीज द०- नीज पू०- नीज प०- NH

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापति एवं संशोधित

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा